संख्या: 28/ 2022/708/ सत्रह-म-2022-001-17-1002(099)/4/ 2021-पार्ट-1

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2022

विषय: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अप्रयुक्त/ अवशेष कुल केन्द्रांश रू0 543.6232 लाख (रू0 524.3961 लाख + रू0 19.2271 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 268/ नि0शा0/ 2022-23 दिनांक 06 जुलाई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं , 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के0 36/ रा0-24- लाभार्थी-40, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 1800.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अप्रयुक्त/ अवशेष कुल केन्द्रांश रू0 543.6232 लाख (रू0 524.3961 लाख + रू0 19.2271 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No- 1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निर्गत केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) खाते में हस्तान्तरित कर, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु दिनांक 31.03.2022 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के सापेक्ष रू0 524.3961 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष रू0 19.2271 लाख अर्थात कुल केन्द्रांश रू0 543.6232 लाख अप्रयुक्त / अवशेष है।

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन

http://shasanadesh.up.nic.com

के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के0 36/ रा0-24- लाभार्थी-40, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 1800.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत अप्रयुक्त/ अवशेष कुल केन्द्रांश रू0 543.6232 लाख (रू0 524.3961 लाख + रू0 19.2271 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एकमुश्त आहरित कर बैंक आफ बडौदा में बचत बैंक खाता संख्या-98160100007290 (आई0एफ0एस0सी0 कोड- BARB0EXTLUC) के अन्तर्गत संचालित एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षों और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्त्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 543.6232 लाख (रू0 पांच करोड तैतालीस लाख बासठ हजार तीन सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक 2405007890103 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0 वाई0) (के036/रा0 24 / लाभार्थी-40, के0) मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या-E-1-102-X-2022-23 दिनांक 15.07.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 28 / 2022/ 708(1) / सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।